प्रकरण संख्या :– 40 / 2021 (2021 / 93) दर्ज दिनांक 08.03.2021
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

श्रीमती बाली देवी पत्नी मोती गाडरी निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। –प्रार्थीया

बनाम

1. नाथु पिता भूरा गाडरी
2. श्रीमती मांगी पुत्री भूरा गाडरी
3. लालू पुत्र भूरा गाडरी
4. श्रीमती कैलाशी पुत्री नाथू भील
5. कालूराम पित मूला भील
6. गोगा पिता मूला भील
7. श्रीमती झमकू देवी पत्नि मूला भील
8. श्रीमती देऊ पत्नि नाथू भील
9. श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री नाथू भील
10. श्रीमती बाली देवी पुत्री मूला भील
11. श्रीमती मंशा पुत्री नाथू भील
12. रामलाल पुत्र नाथू भील
13. शंभू लाल पिता मूला भील
14. श्रीमती लेहरी पुत्री रेवता भील
15. श्रीमती शांति पुत्री मूला भील
16. श्रीमती सुन्दर पुत्री रेवता भील
17. श्रीमती सायरी पुत्री घीसा भील
18. श्रीमती जमनी पत्नि ज्वारू गाडरी
19. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

सर्व निवासी मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीयाः–श्री भगवती लाल टेलर

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–01.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 741 एवं 164 मे स्थित आराजी संख्या 3915 / 643 रकबा 0.23 हे0, 3917 / 645 रकबा 0.02 हे0, 3920 / 682 रकबा 0.80 हे0, 644 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 हे0 एवं खाता संख्या 164 मे स्थित आराजी संख्या 3916 / 643 रकबा 003 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियां प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की है। जिनकी जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 संलग्न हैं। प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की [illegible] की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी[illegible] विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर तामिल किया गया। विपक्षी संख्या 1 से [illegible] 18 [illegible] सूचना अनुपस्थित अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] संख्या 19 पेरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद [illegible] हैं। प्रार्थीया अधिव[illegible] विपक्षी संख्या 4 की मृत्यु होने से उसके कायम मुकाम पेश [illegible] करना चाहा एवं उस[illegible] कोई कार्यवाही नहीं चाही। एवं विपक्षी संख्या 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16 के विरूद्व भी प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीया के अधिवक्ता को सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या :— 40 / 2021 (2021 / 93)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम मेहन्द्रगढ़ पटवार हल्का मेहन्द्रगढ़ तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की खाता संख्या 741 एवं 164 मे स्थित आराजी संख्या 3915 / 643 रकबा 0.23 हे0, 3917 / 645 रकबा 0.0.02 हे0, 3920 / 682 रकबा 0.80 हे0, 644 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 हे0 एवं खाता संख्या 164 मे स्थित आराजी संख्या 3916 / 643 रकबा 003 हे0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.03 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीया बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550 / — (पांच सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 550 / — (पांच सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीया अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:09 IST
Reason: SelfAttested